ज्ञान तत्व 359

मंथन कमांक 45 शिक्षा व्यवस्था

कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त हैं–

1 ज्ञान और शिक्षा बिल्कुल अलग अलग होते है। ज्ञान घट रहा है और शिक्षा बढ रही है।

2 शिक्षा का चरित्र पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नही पडता क्योकि शिक्षा व्यक्ति की सिर्फ क्षमता का ही विकास करती है, चरित्र का नहीं।

3 शिक्षा देना राज्य का दायित्व नही है सुरक्षा और न्याय मात्र राज्य का दायित्व होता है।

4 शिक्षा किसी भी रूप मे रोजगार का सृजन नही करती वह तो रोजगार का रूपांतरण मात्र कर सकती है।

5 सरकार को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा मे किसी की भी सहायता या विरोध नही करना चाहिये। इससे पक्षपात होता है।

6 श्रम की अवहेलना करके बुद्धिजीवियो की मदद करना समानता के सिद्धान्त के भी विरूद्ध है।

सिद्धान्त रूप से किसी भी प्रकार की शिक्षा राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिये। विदेशो की नकल करके मैकाले शिक्षा पद्धति ने भारत मे इस बुराई को विस्तार दिया । इस शिक्षा पद्धति के कारण श्रम के साथ अन्याय हुआ । हमारे रामानुजगंज विकास खंड मे नब्बे प्रतिशत लोग शराब पीने वाले है, गरीब है, अल्प शिक्षित है, ईमानदार है, सच बोलने वाले है, मानवता का व्यवहार करते है । बाहर से आये हुए शिक्षित और सम्पन्न लोग हर तरह से उनका शोषण करते हैं। प्रश्न उठता है कि शिक्षा शोषण और अत्याचार का हथियार है या चरित्र निर्माण का साधन। भारत मे स्वतंत्रता के बाद लगातार तेजी से शिक्षा का भी विस्तार हुआ तथा भ्रष्टाचार चरित्रपतन साम्प्रदायिकता हिंसा आदि का भी उतनी ही तेजी से विस्तार होता गया। मै नही कह सकता कि इन दोनो का क्या संबंध है किन्तु इतना अवश्य है कि ज्ञान लगातार घट रहा है और शिक्षा बढ रही है।

शिक्षा श्रम शोषण का माध्यम बन गई है । बुद्धिजीवियों ने आर्थिक व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण कर लिया है । होना तो यह चाहिये था कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता या राज्य प्रतिस्पर्धा मे बुद्धि की तुलना मे श्रम की कुछ सहायता करता किन्तु इसके ठीक विपरीत राज्य व्यवस्था ने शिक्षा पर भारी बजट खर्च करना शुरू कर दिया । इतना ही नही इन लोगो ने तो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसानो के उत्पादन और उपभोग की वस्तुओ पर भारी कर लगाकर शिक्षा पर खुला खर्च करने भी पाप किया । भारत के सम्पूर्ण बजट से पुलिस और न्यायालय पर कुल एक प्रतिशत ही खर्च किया जाता है तो शिक्षा पर कुल बजट का करीब छ प्रतिशत । अनेक बुद्धिजीवी ठेकेदार शिक्षा पर और अधिक बजट बढाने की मांग करते रहते हैं।

शिक्षा को राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होना चाहिये। लार्ड मेकाले ने गुलाम मानसिकता बढाने के लिये जो शिक्षा पद्धति लागू की उसी की स्वतंत्र भारत में भी अक्षरशः नकल की जा रही है। राज्य को क्यो शिक्षा की स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप करना चाहिये? शिक्षा समाज का विषय है राज्य का नही । जो राज्य सुरक्षा और न्याय नही दे पा रहा है वह यदि शिक्षा के प्रति इतना संवेदनशील है तो उसकी नीयत खराब है।

गांधी जी ने तथा विनोबा जी ने भी सुझाव दिया था कि विशेष परिस्थिति मे दो वर्षो के लिये स्कूल कालेज बंद कर दिये जाये । मै इस सुझाव का तो पक्षधर नही। किन्तु मै इस का पक्षधर अवश्य हूँ कि सरकार को गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों से टैक्स वसूल करके शिक्षा पर खर्च पूरी तरह रोक देना चाहिये।

श्रम रोजगार के नये अवसर पैदा करता है और शिक्षा इस तरह के रोजगार की छीनाझपटी करती है । शिक्षा रोजगार के सुविधाजनक अवसर पैदा करके श्रम और शिक्षा की तुलना मे असमानता का विस्तार करती है। एक श्रमजीवी को ढाई सौ रूपया मे भी कई जगह काम उपलब्ध नही है। दूसरी ओर

शिक्षित लेागो की सरकार बहुत चिंता कर रही है । चपरासी का वेतन पांच सौ रूपया रोज और किसान आत्म हत्या करे यह असमानता न्याय संगत नही है। फिर भी शिक्षा के नाम पर की जा रही है श्रमजीवी के पास आय का एक मात्र माध्यम श्रम ही होता है। जबकी शिक्षित व्यक्ति के पास श्रम के अतिरिक्त शिक्षा भी है। फिर भी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार कैसे होता है? जब सिद्धांत रुप से शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार न होकर उचित रोजगार की प्रतीक्षा में है तो शिक्षित बेरोजगारी शब्द भी बुद्धिजीवियों का षडयंत्र मात्र है। शिक्षा के साथ सम्मान और एक प्रकार की सुविधा जुड जाने के कारण श्रमजीवी लगातार प्रयत्न करता है कि उसकी आने वाली पीढी श्रम प्रधान काम छोडकर शिक्षा की दिशा में बढे। आमतौर पर शिक्षित लोग स्वयं काम न करके श्रम खरीदने का अभ्यस्त हो जाता है यह शिक्षा के बढते मूल्य का दुष्प्रभाव है। गरीब और अमीर के बीच भी लगातार खाई बढते जा रही है। उसमें शिक्षा के विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि सरकार शिक्षा पर खर्चा करना चाहती है तो वह शिक्षा पर समान रुप से खर्च क्यों नहीं करती। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से समान शिक्षा दी जायेगी जो सबके लिए संभव हो। उसके आगे की पढाई आप अपनी क्षमतानुसार करने के लिए स्वतंत्र है। सौ गरीब में से गरीब कहकर एक दो लोगो को सरकारी खर्च पर शिक्षा देना 98 गरीबो के साथ अन्याय है। आप जो भी शिक्षा दे वह सबके लिए समान होनी चाहिये। टैक्स वसूल करेंगे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान से जबकि शिक्षा का लाभ देगें बुद्धिजीवियों को । यदि हम भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का अकलन करें तो वहॉ शिक्षा के नाम पर या तो राजनीति हो रही है अथवा टकराव की ट्रेनिंग । संस्थाओ की जगह संगठन बनाये जा रहे है और सारी बुराई की ट्रेनिंग ही रही है। प्रारंभ मे साम्यवादियों ने उच्च शिक्षण संस्थाओ को इन बुराइयों का आधार बनाया। अब संघ परिवार भी उसी दिशा मे आगे बढ रहा है। ये देश की सुव्यवस्था के लिये बहुत बुरे लक्षण है।

मेरा तो स्पष्ट मत है कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था और उस पर किये जाने वाले खर्च से अलग हो जाना चाहिये। कोई आवश्यकता नही है कि हम सरकारी स्कूल चलावें । यह काम समाज अपने आप कर लेगा। शिक्षा पर होने वाला खर्च या तो शिक्षा प्राप्त करने वाले विधार्थी को देना चाहिये अथवा शिक्षा का लाभ उठा चुके लोगो को देना चाहिये। शिक्षा का खर्च हल जोतने वाले अशिक्षित श्रमजीवी पर क्यो लादा जाय ? इसलिये बुद्धिजीवियों द्वारा शिक्षा के नाम पर अशिक्षितो के साथ होने वाला षणयंत्र रोका जाना चाहिये। तर्क दिया जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति शोषण का अधिक शिकार होता हे । यह बात सच है कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शोषण और अत्याचार मे अधिक पारंगत होता है इस तर्क के आधार पर यदि शिक्षा का विस्तार होता है तो यह पूरी तरह गलत है । या तो शिक्षा को पूरी तरह समान होना चाहिये या स्वतंत्र । मै तो स्वतंत्रता के अधिक पक्ष मे हूॅ किन्तु यदि समान शिक्षा भी होती है तो कोई विशेष गलत नही है । किन्तु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिये।

मंथन कमांक 46 भगवत गीता का ज्ञान

मेरी पत्नी अशिक्षित है किन्तु बचपन से ही उसकी गीता के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह गीता का अर्थ लगभग नही के बराबर समझती थी। कभी कभी मैं उसे गीता के किसी श्लोक का भावार्थ समझा देता था। धीरे धीरे मैं गीता को समझने लगा और एक दो वर्षो के अंदर ही मेरे जीवन पर गीता का प्रभाव पडने लगा।

मैं नहीं कह सकता कि गीता धार्मिक ग्रंथ है या ऐतिहासिक। मै इस विवाद से भी संबंध नहीं रखता कि महाभारत युद्ध यथार्थ है या कल्पना अथवा गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया था अथवा लेखक ने अपने विचारों को कृष्ण के नाम से प्रस्तुत किया। किन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूॅ कि गीता ज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका कार्यकाल कब का है और कोई अंश प्रक्षिप्त है या नहीं, यह भी मेरी चर्चा का विषय नहीं है। मैंने जहॉ तक समझा है उसके अनुसार गीता एक ऐसा अथाह समुद्र है जिसमें मोतियों का भंडार भरा पडा है और मैं उन मोतियों में से अपनी क्षमता अनुसार दो तीन मोती आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूॅ–

धर्म के संबंध में गीता में लिखा है कि ''स्वधर्मे निधनम श्रेयः'' अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को किसी अन्य के धर्म के अनुसार न आचरण करना चाहिए न हस्तक्षेप, भले ही अपने धर्म में मृत्यु ही क्यों न हो जाये। प्रश्न उठता है कि प्राचीन समय में धर्म का अर्थ हिन्दू, मुसलमान, इसाई से था अथवा पूजा पद्धति से । यदि पूजा धर्म था तो सभी व्यक्तियों का धर्म एक ही होगा, अलग अलग नहीं किन्तु यदि पूजा पद्धति

धर्म थी तब पूजा पद्धति के आधार पर बने समूह धर्म माने जाते जैसा अभी दिख रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग संगठन उस समय नहीं थे न ही सबका धर्म एक समान था। इसका अर्थ हुआ कि धर्म का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत कर्तव्य तक निहित था जो बढते बढते वर्णऔर आश्रम तक चला जाता था। वर्तमान समय में धर्म एक है यह धारणा भी गलत प्रतीत होती है और धर्म हिन्दू, मुसलमान, इसाई से जुडी हुई है यह भी धारणा गलत है । धर्म का वास्तविक अर्थ ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अन्य के हित में किया जाने वाला निःस्वार्थ कार्य धर्म होता है। व्यक्ति का पिता, माता, पत्नी, पुत्र, पडोसी या समाज के प्रति अलग अलग धर्म होता है, एक समान नहीं। इसी तरह गीता में ''यदायदा ही धर्मस्य'' के माध्यम से भी धर्म की व्याख्या की गई है। इस श्लोक में भी धर्म का अर्थ न तो पूजा पद्धति है, न ही हिन्दू मुसलमान । यहॉ धर्म का अर्थ कर्म करने की स्वतंत्रता से निहित है। जब भी धर्म पर संकट आता है और अपराधी तत्व अधिक मजबूत हो जाते है तब संकटकाल मानकर किसी शक्ति का उदय होता है जो अपराधी तत्वों को दबाकर पुनः धर्म की स्थापना करती है। इसी कम में एक तीसरा श्लोक आता है ''सर्वधर्म परित्यज्य'' जिसका अर्थ है आपातकाल में सारे कार्य रोककर किसी एक व्यक्ति अथवा शक्ति या व्यवस्था के अतर्गत इकट्ठा हो जाना चाहिये। सामान्य काल के लिए गीता धर्म का अलग अर्थ बताती है और अपातकाल के लिए अलग । यदि हम वर्तमान अव्यवस्था का आकलन करें तो सारी अव्यवस्था का मुख्य कारण धर्म के गीता में बताये गये अर्थो का दुरुपयोग ही दिखता है।

गीता में ज्ञान कर्म और उपासना की अलग अलग विस्तृत व्याख्या की गई है किन्तु उसमें भी ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गीता में जगह जगह ज्ञानयज्ञ को अन्य सब प्रकार के यज्ञों से श्रेष्ठ बताया गया है जो मेरे विचार से सच भी है। प्राचीन समय से ही भारत ज्ञान मार्ग को सर्वोच्च स्थान देता रहा है किन्तु यदि हम वर्तमान का आकलन करें तो राज्य सत्ता धन शक्ति और संगठन शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है जिसमें ज्ञान का महत्व शून्यवत हो गया है। इस आधार पर भी हम गीता के विपरीत आचरण कर रहे हैं।

गीता पढने से यह स्पष्ट होता है कि सभी क्षेत्रों में उत्तम मध्यम और निम्न वर्ग के आधार पर तीन वर्गीकरण हुये है, दो नहीं। गुणों में भी सत रज तम के आधार पर तीन का विभाजन है। यदि हम वर्तमान का आकलन करें तो तीन के विभाजन को दो में करके बहुत बडी भूल हुई है। व्यक्तियों का सामाजिक ,असामाजिक, समाज विरोधी के बीच विभाजन होना व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा है किन्तु अच्छे और बुरे के रुप में विभाजन करके अनेक प्रकार की समस्याये पैदा की गई। इसी तरह गीता में वर्ण व्यवस्था के अनुसार मार्ग दर्शन किया है। अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा कृष्ण ने दी। अर्जुन जब ब्राम्हणों की भाषा बोलने लगा और युद्ध से विमुख होने लगा तब कृष्ण ने उसे डांटा। किन्तु अर्जुन यदि ब्राम्हण प्रवृत्ति का होता तो कृष्ण उसे युद्ध करने की प्रेरणा न देकर दुर्योधन का हृदय परिवर्तन कराने की प्रेरणा देते। कृष्ण ने उपदेश के लिए अर्जुन को चुना युधिष्ठिर को नहीं क्योंकि कृष्ण के विचार में युधिष्ठिर ऐसी प्रेरणा के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे। सम्पूर्ण गीता वर्ण व्यवस्था पर बहुत गंभीर विवेचना प्रस्तुत करती है।

यह स्पष्ट है कि गीता धर्म ग्रंथ है किसी धर्म का ग्रंथ नहीं। गीता को हिन्दू मुसलमान के बीच बांटकर देखना घातक है। हिन्दू यदि गीता पर अपना दावा प्रस्तुत करते है तो वह उचित नहीं, और मुसलमान इसाई यदि गीता को हिन्दू धर्म ग्रंथ मानते है तो वह भी ठीक नहीं। लम्बे समय से गीता ने अनेक महापुरुषों का मार्गदर्शन किया है और वर्तमान में भी मेरे जैसे लोग प्रेरणा ले रहे है। मैं समझता हूॅ कि वेदो को हम हिन्दुओं का धर्मग्रंथ कह सकते है किन्तु गीता को नहीं। वेदों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है किन्तु वेदों से मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि वेद सामान्यजन के लिए कठिन है । गीता इस संबंध में सामान्यजन के लिए मार्गदर्शन की पूरी क्षमता रखती है। गीता को एक मानव धर्मग्रंथ के रुप में देखा जाना चाहिये और मैं तो अपने बचपन मे आज तक गीता को उसी रुप में देखता आया हूॅ।

लोकतंत्र के बदलते अर्थ

गुजरात की राज्यसभा के चुनाव सम्पन्न हुये । कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया कि लोकतंत्र बच गया। यदि अहमद पटेल की हार हो जाती तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती। मैं लोकसभा, राज्यसभा या अन्य अनेक स्थानों पर प्रतिदिन बडे राजनेताओं के मुंह से सुनता हूॅ जिसमें प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र की

रक्षा होने की बात घोषित की जाती है। पता नहीं भारत का लोकतंत्र कैसा तंत्र है जो दिन भर मरते जीते रहता है।

भारत में लोकतंत्र की परिभाषायें समय समय पर बदलती रही हैं। सन् 47 के पूर्व गांधी ने लोकतंत्र को लोकनियंत्रित तंत्र के रुप में परिभाषित किया था। गांधी की हत्या होते ही लोकतंत्र की परिभाषा लोकनियंत्रित तंत्र से बदलकर लोकनियुक्त तंत्र कर दी गई और व्यवस्था बनी कि लोकतंत्र क्या है इसको संसद ही परिभाषित कर सकती है। स्वाभाविक है कि संसद हर पांच वर्ष में बदल जाती है और लोकतंत्र की परिभाषा भी बदलती रहती है। सन् 73 में सुप्रीम कोर्ट के तेरह जजों ने केशवानंद भारती प्रकरण में एक के बहुमत से लोकतंत्र की एक अलग व्याख्या की। यह व्याख्या अब तक मान्य है । यदि एक जज इधर से उधर हो जाता तो आज हम किसी अलग परिभाषा को लोकतंत्र मानते और कहने के लिए बाध्य होते। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने दो जजों को इधर उधर करके फिर से लोकतंत्र को न्यायालय से भिन्न तरीके से परिभाषित कराने का प्रयास किया जो अनिर्णीत रहा। उसके बाद भारत में लोकतंत्र की यह परिभाषा बनी की जो इंदिरा जी कहे वहीं लोकतंत्र है। सन् 77 के बाद फिर से वह परिभाषा बदल कर न्यायालय की परिभाषा पर केन्द्रित हो गई।

यदि हम वर्तमान का आकलन करें तो पाते हैं कि धीरे धीरे लोकतंत्र की परिभाषा बदलकर इस तरह बनती जा रही है कि जो संसद कहेगी वही लोकतंत्र है और यह भी संभव है कि भविष्य में जो नरेन्द्र मोदी जी कह दें वही लोकतंत्र हो जायेगा। हरियाणा में शराब बंद हुई जनहित में और दो तीन वर्ष बाद चालू भी हो गई जनहित में। स्पष्ट है कि जनहित क्या है उसको परिभाषित करने में जन की कई भूमिका नहीं है। तंत्र को असीमित अधिकार है कि वह जब चाहे जिस तरह चाहे जनहित की परिभाषा को उलट पुलट कर दे। इसी तरह लोकतंत्र की भी परिभाषा एक कोहिनूर हीरे के समान है जिस पर जिस राजा का कब्जा होगा वही उसका मालिक है।

स्पष्ट है कि लोकतंत्र की परिभाषा में लोक का विशेष महत्व होना चाहिये किन्तु लोक को बाहर करके तंत्र के विभिन्न घटक लोकतंत्र की मानमानी परिभाषा करते रहे हैं और निकट भविष्य में लोकतंत्र की परिभाषा करने में लोक की कोई भूमिका होगी ऐसा संभव नहीं दिखता है। अब तो सारी लडाई इस बात पर केन्द्रित होनी चाहिये कि जनहित क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। यह लोक के अधिकार क्षेत्र की बात है, तंत्र के अधिकार की नहीं।

परिवार में रिश्तों का टकराव

विजयपत सिंघानिया भारत के उद्योगपतियों में बहुत बडा नाम है। वृद्धावस्था में उन्होंने अपनी सम्पत्ति लडके के नाम करके उसे मालिक घोषित कर दिया। अब पिता अर्थात विजयपत एक किराये के मकान में रहते है जिसका सात लाख रुपये महिने का किराया लडका नहीं देना चाहता। गलत कौन है यह पता नहीं किन्तु लगातार प्रचारित हो रहा है कि लडका गलत है।

एक मॉ दिल्ली रहती है और लडका सपरिवार अमेरिका में। लडका अमेरिका से मॉ को आवश्यक खर्च देता रहता है किन्तु वह मॉ की प्रत्यक्ष रहकर सेवा या देखभाल नहीं कर पाता। मॉ की मृत्यु हो जाती है और करीब आठ महिने तक बेटे को पता नहीं चलता। बेटा जब दिल्ली आता है और मकान का किवाड तोडकर देखा जाता है तो मॉ कई महिने पहले से मरी हुई सडगल चुकी थी। स्पष्ट है कि प्रचार माध्यमों में बेटे की बहुत दुर्दशा हुई।

मैंने ऐसी अनेक घटनायें देखी और सुनी हैं। कभी मॉ बाप गलती पर दिखते हैं तो कभी बेटा और बहू। स्पष्ट है कि यदि विजयपत सिंघानिया और दिल्ली की महिला का परिवार पारिवारिक परिपार्टी छोडकर लोकतांत्रिक तरीके से परिवार का संचालन किये होते तो ऐसी समस्या न उनके साथ आती, न ही किसी के साथ आयेगी। अब तक समाज में परिवार को सामाजिक दृष्टि से प्राथमिक इकाई माना जाता है तो कानून में अर्द्ध लोकतांत्रिक। परिवार के संचालन में अर्थ अर्थात धन, सम्पत्ति का भी वर्तमान समय में बहुत महत्व है। यदि हम परिवार को संगठन मान ले, प्रत्येक सदस्य की परिवार के संचालन में समान भूमिका मान ले तथा परिवार की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रत्येक सदस्य का बराबर अधिकार मान लें तो यह समस्या जड मूल से खत्म हो जायेगी। पारिवारिक रिश्ते निभाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जायेगा किन्तु किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना हिस्सा लेकर परिवार छोड सकता है

और यदि सबकी सहमति हो तो जुड भी सकता है। परिवार के पारिवारिक मामलों में कानून तथा राज्य का दखल शून्यवत हो जायेगा और परिवार के पारिवारिक निर्णय कानून मुक्त हो जायेंगे। जब तक हम अपनी परम्परागत परिवार व्यवस्था को परिस्थिति अनुसार संशोधित करके लोकतांत्रिक पद्धति में नहीं बदल लेते तब तक यह समस्या बनी रहेगी। भारत में जिन परिवारों ने अपने को लोकतांत्रिक तरीके में बदल लिया है उन परिवारों में न विजयपत सिंघानिया सरीखा कोई संकट है, न ही दिल्ली की उस मॉ के सरीखा। ऐसे परिवारों में कभी कोई मुकदमें बाजी भी देखने में नहीं आयी। मैं समझता हूॅ कि अब भी परिवारों को विजयपत अथवा दिल्ली की मॉ या अपने परिवार की समस्याओं का अनुभव देखते हुये पारम्परिक परिवार व्यवस्था के साथ साथ कानूनी तौर पर लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था का मार्ग स्वीकार करना चाहिये।

गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत का यथार्थ

गोरखपुर के अस्पताल में पांच दिनों में 63 बच्चों की मौत की घटना को एक सप्ताह बीत चुका है। मैंने 7 दिनों में लगातार यह समझने का प्रयास किया कि सच क्या है किन्तु इतने दिनों बाद भी मैं सच नहीं समझ पाया। दो बाते तो साफ समझ में आ गई कि पांच दिनों में 63 बच्चों की मौत हुई तथा एक दिन गैस की सप्लाई रुक गई थी किन्तु मृत्यु गैस की सप्लाई रुकने से हुई या नहीं यह अब तक समझ में नहीं आया। सरकार ने अपना पक्ष रखा कि अगस्त महिने में प्रतिवर्ष आमतौर पर इतनी मौत होती हैं तथा गैस सप्लाई शुरु होने के बाद भी अब लगभग उतनी ही मौत हो रही हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण का अब तक किसी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया इसलिए मृत्यु और गैस सप्लाई के संबंधों की बात साफ नहीं हो सकी। दूसरा पक्ष साफ है कि गैस सप्लाई रुकी और गैस सप्लाई रुकने का मुख्य कारण अव्यवस्था या भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ। सप्लाई रोकने वाली कम्पनी निर्दोष दिखती है। इस सारे प्रकरण में डॉ कफिल अहमद ज्यादा प्रकाश में आये। पहले दिन मीडिया ने मुसलमान होने के कारण उनके परिश्रम की भरपूर सराहना की । शायद हिन्दू होते तो इसकी एक चौथाई चर्चा भी नहीं होती। दूसरे दिन डॉ कफिल अहमद की भरपूर आलोचना होने लगी और यदि वे मुसलमान न होते तो मीडिया में उनकी इतनी अधिक आलोचना नहीं होती। कफिल अहमद ने भ्रष्टाचार किया होगा । वे सरकारी सिलेंडर भी अपने क्लिनिक में उपयोग करते होंगे किन्तु इन सबका सीधा संबंध भ्रष्टाचार तक सीमित है, बच्चों की मौत से जुडा नहीं। न तो उन्होंने दौड दौड कर सिलेंडर जुटाये उसका कोई संबंध है न ही वे अस्पताल के सिलेंडर ले गये उसका कोई संबंध है। यदि लिक्वीड गैस बंद होने से मौत हुई तो 2 वर्ष पूर्व जब लिक्वीड गैस नहीं थी तब तो सिर्फ गैस सिलेंडर ही सारा काम करते थे और लिक्वीड गैस बंद होने के बाद भी गैस सिलेंडर कभी समाप्त नहीं हुये। मुझे तो यह दिखता है कि पांचो पक्ष –1 सरकार 2 विपक्ष 3 डॉ कफिल अहमद 4 वामपंथी मीडिया 5 दक्षिणपंथी मीडिया। ये पांचो वातावरण को इतना दूषित कर रहे है कि सच समझ में नहीं आ रहा है। यहॉ तक कि सरकार भी जो कह रही है उस पर कहीं टिकी हुई नहीं दिख रही है। यदि कोई तटस्थ व्यक्ति कुछ सच्चाई बता सके तब कुछ निश्चित समझ में आ सकता है।

रक्षाबंधन का सदुपयोग या दुरुपयोग

भारत में रक्षाबंधन प्राचीन समय में ब्राम्हणों का मुख्य त्यौहार माना जाता था। बाद में इस त्यौहार में भाई बहन का संबंध सम्मिलित हुआ। चुंकि वर्ण व्यवस्था कर्म से विकृत होकर जन्म तक आ गई थी इसलिए स्वाभाविक था कि जन्म से घोषित ब्राम्हणों का शेष समाज से संबंध वास्तविक न होकर पारम्परिक रह जाता। परिणाम स्वरुप यह त्यौहार ब्राम्हण और शेष समाज से बदलकर भाई बहन के रुप में प्रचलित होता चला गया।

जब भी समाज में किसी व्यवस्था की विश्वसनीयता बढने लगती है तब उसकी नकल भी होने लगती है। भाई बहन के संबंधों का प्रतीक राखी का त्यौहार भी ऐसी ही एक विकृत नकल की भेट चढ रहा है। बहुत लोग जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने का नाटक करते है तो कई लोग अपनी धर्म बहनों से यह पवित्र कार्य सम्पन्न करते है। अभी अभी छ0ग0 में कार्यरत सैनिको को छात्राओं से राखी बंधवाने का पवित्र कार्य सम्पन्न कराया गया। इसी कार्य में किसी सैनिक ने राखी बांधने वाली बहनों के साथ छेडछाड की घटना को भी अंजाम दिया और कानून ने उन्हें जेल पहुॅचाया । प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार का नाटक दीर्घकालिक लाभ दे सकता है? मेरे विचार से नहीं। वास्तविक भाई बहन के बीच जो पवित्र भावना

काम करती है वह मान्यता प्राप्त भाई बहन के बीच नहीं करती और नकली भाई बहन के बीच तो करती ही नहीं है। यदि इस प्रकार महिला और पुरुष के बीच की दूरी घटाकर उसे भावनात्मक रुप से भाई बहन के संबंध के द्वारा जोडने का प्रयास किया जायेगा तो उससे लाभ कम होगा और हानि अधिक। यदि बालिग महिला और पुरुष के बीच दूरी घटती जाती है तो दुरुपयोग के खतरे बढने स्वाभाविक है। वास्तविक भाई बहन के बीच यदि ऐसे खतरे एक दो प्रतिशत है तो नकली भाई बहन के बीच ऐसे खतरें 50 प्रतिशत से भी अधिक हो सकते है। जहॉ परिवारों में वास्तविक भाई बहन के बीच की दूरी घटाने में सतर्कता बरती जाती है वहॉ हमारी आधुनिक सभ्यता अलग अलग स्त्री पुरुषों को भाई बहन कहकर दूरी घटाने का नाटक करते रहते है। मेरी तो यह सलाह है कि इस प्रकार के पवित्र रिश्तों को सामाजिक स्तर तक ही चलने दिया जाये और उनके साथ किसी प्रकार की राजनैतिक छेडछाड न की जाये। अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि वास्तविक भाई बहन का राखी का त्यौहार ही कलंकित होने लग जाये।

प्रश्नोत्तर

1)प्रश्न– सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज का भावार्थ क्या है?

उत्तर–गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज के आधार पर समाज को जो संदेश दिया गया है उस संदेश का विकृत अर्थ वर्तमान में प्रचलित है । यह संदेश उस समय की आपातकालीन परिस्थितियों को देखकर दिया गया था जिसमें समाज को अपने वर्णाश्रम धर्म से भी हटकर एक आपातकालीन शक्ति के नेतृत्व में इकट्ठा होना चाहिये। यदि हम दुनिया की और विशेषकर भारत की आंतरिक स्थिति की समीक्षा करें तो गांव से लेकर राष्ट्र तक दुष्ट प्रवृत्तियों के लोग हर क्षेत्र मे मजबूत हुये है। शरीफ लोग उनके विरुद्ध गवाही देने से भी भयभीत है इसलिए वर्तमान समय में गीता के इस संदेश को मैंने इस संशोधित स्वरुप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। सर्वकर्मान् परित्यज्य लोकस्वराज्य् शरणम् ब्रज। इसका अर्थ है कि अभी अन्य सभी कार्यों की तुलना में सबको लोक स्वराज्य अभियान के साथ जुड जाना चाहिये। यह समय आपत्तिकाल का है और बचाव का यही मार्ग है।

गीता के श्लोक में यह भी स्पष्ट संदेश है कि जब शराफत संकट में हो और दुष्ट प्रवृत्तियां मजबूत हो रही हो तब ईश्वर, प्रकृति अथवा समाज रुपी कोई अलौकिक शक्ति समाज में प्रगट होती है तथा उसके नेतृत्व में समाज इकट्ठा होकर दुष्ट प्रवृत्तियों से समाज की रक्षा करता है। मैं स्पष्ट कर दूॅ कि इस श्लोक का अगला भाग परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चदुष्कृताम के रुप में है और इसके जुड जाने के बाद मेरा आशय स्पष्ट हो जाता है।

2) मो0 सफी आजाद बाराबंकी

विचारः– 356 पत्रिका आज प्राप्त हुई । मैंने अपने पत्र में केवल यह कहने का प्रयास किया था कि यदि कोई व्यक्ति या समूह राजशाही तानाशाही के दौर में गलती करता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरुप दूसरा पक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के समय काल में दोहराने का प्रयास करें तो अनुचित होगा। आपने स्वीकार किया कि '' श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद सम्प्रदायिक सौहाद्र बिगड रहा है । जो वातावरण बन रहा है वह हिन्दुत्व के लिए बहुत बडा कलंक है, इसके लिये भी धन्यवाद। मेरी अपनी मान्यता है कि प्रत्येक धर्म में तमाम अच्छाइयों के साथ कमोवेश त्रुटियां विद्यमान है परन्तु कोई भी धर्मावलम्बी अपनी प्रचलित मान्यताओं पर पुनर्विचार के लिए भी तैयार नहीं न हिन्दू और न मुसलमान। मैं समान नागरिक संहिता का पक्षधर हूॅ हिन्दू/मुस्लिम कोड बिल का बिल्कुल नहीं और न अपने पत्र में इस्लाम का पक्ष लेने का प्रयास किया है। यह अलग बात है कि मेरे नाम के आधार पर आपने मुझे इस्लाम का पक्षधर मान लिया। मेरी अजीब स्थिति है कि मुस्लिम धर्मगुरु मुझे पूरा मुसलमान नहीं मानते और आप मुझे इस्लाम का पक्षधर लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। ऐसा भी नही कि अब से पहले मैं मुस्लिम समाज की गल्तियों पर मूक दर्शक रहा हूॅ। मैंने सम्भवतः वर्ष 1991 में समान नागरिक संहिता,कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और बंगला देशी घुसपैठियों की वापसी जैसे बी जे पी के एजेंडे का समर्थन करते हुये झण्डा लगा कर बी जे पी के पक्ष में मतदान किया था परन्तु जब बी जे पी अपने एजेंडे से अलग हटी मैंने भी उनसे दूरी बना ली। मुम्बई से प्रकाशित

पत्रिका'' समाज प्रवाह'' में प्रकाशित मेरा लेख '' मुस्लिम समाज की चुनौतियां की प्रति उदाहरण स्वरुप प्रेषित है। संलग्न प्रतियां मेरी सोच की परिचायक हैं। किसी को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है परन्तु एक सीमा में रहकर। हमारे वक्तव्य से किसी भी धर्म/मजहब के अनुयायी की आस्था को चोट पहुॅचे इसे अनुचित मानता हूॅ। मैं व्यक्तिगत रुप से गोहत्या ही नहीं जीव हत्या का विरोधी हूॅ परन्तु किसी पशु जीवन की अपेक्षा मानव जीवन को महत्वपूर्ण समझता हूॅ। आपने हिन्दू द्वारा समान अधिकार व मुस्लिम वर्ग द्वारा विशेष अधिकार के चाहत की बात की है। आप देखें हिन्दू नट को आरक्षण लाभ का विशेष अधिकार प्राप्त है लेकिन मुस्लिम नट को नही, हिन्दू धोवी को विशेष अधिकार प्राप्त है मुस्लिम धोवी को नहीं आदि। अब आप स्वयं विचार करें कि विशेष अधिकार के रुप में मुस्लिम समाज को बहु विवाह तलाक जैसे जो अधिकार प्राप्त है उनसे मुस्लिम समाज को क्या लाभ प्राप्त है। मजहब की मूल भावना से हट कर मनगढन्त व्याख्या ने अशिक्षित मुस्लिम समाज को जकड रखा है और मुस्लिम धर्मगुरु पुनर्विचार को तैयार नहीं और मुस्लिम समाज अपनी धार्मिक कट्टरता और संर्कीणता के कारण अपने सर्वांगीण विकास सं वंचित है। हम भारत के लोग गुजरे समय में हुई गल्तियों का दंश झेल रहे है। समय परिवर्तनशील एवं बलवान होता है इसलिये आज हम ऐसी गल्तियॉ करने से परहेज करें कि हिन्दुस्तान की भावी पीढी को झेलना पडे तथा इतिहास के पन्नों पर काले अक्षरों में हमारा नाम और गल्तियॉ दर्ज हो और हमे समय क्षमा न कर सके। हम सबको याद रखना चाहिये कि साम्प्रदायिक सौहाद्र हिन्दुस्तान की जान है। समय समय पर हिन्दुस्तान की तहजीब में दरार पैदा करने की कोशिशें की गयी लेकिन कोई सफल न हो सका और भविष्य में भी हिन्दुस्तान की यह पहचान बाकी रहेगी।

''कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी''

सदियों रहा है दुश्मन दौरे खिजां हमारा।।

उत्तर– भारत की संवैधानिक व्यवस्था समाज को आपस मे लडा भिडाकर तथा वर्ग विद्वेष बढाकर बिल्लियों के बीच बंदर की भूमिका मे है। इसलिय वह समान नागरिक संहिता नही चाहती। यहां तक कि संघ भी समान नागरिक संहिता की जगह समान आचार संहिता चाहता है। यदि मुसलमानो को चार शादी तक छूट है तो हिन्दूओ को भी कितनी भी शादी करने की छूट हो यह समान नागरिक संहिता है और हिन्दूओ के समान मुसलमानो को भी एक से अधिक विवाह की रोक लगा दी जाय यह समान आचार संहिता है। कोई भी स्त्री या पूरूष कभी भी अलग अलग हो सके इसकी प्रत्येक व्यक्ति को छूट समान नागरिक संहिता है और उसमे किसी भी प्रकार की सरकारी हस्तक्षेप आचार संहिता है। हिन्दू धोबी या नट को विशेष सुविधा मिलती है इसलिये मुसलमान धोवी को भी मिले यह मांग पूरी तरह गलत है। उचित मांग यह है कि हिन्दू धोवी और नट की भी सुविधाए समाप्त होनी चाहिये । इसलिये मेरा मत है कि मुसलमानो को अब स्वयं आगे आकर विशेष अधिकार या विशेष दर्जे का विरोध करना चाहिये तथा खुलकर प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार की मांग करनी चाहिये। दुनियां मे बहुसंख्यक विशेष अधिकार चाहता है और अल्प सख्यक समान अधिकार । किन्तु मुसलमान पूरी दुनियां का एक ऐसा विचित्र समुदाय है जो सारी दुनियां मे जहां बहुसंख्यक है वहां विशेष अधिकार लेता है और अल्प संख्यक है तब भी उसे विशेष अधिकार ही चाहिये। यदि भारत के मुसलमानो ने दुनियां के मुसलमानो की नकल करना बंद नही किया तो यदि संघ के नेतृत्व मे उनपर अत्याचार हुए तो अन्य हिन्दू ऐसे लोगो की चिता क्यो और कैसे करेंगे। आज भारत की जेलो मे मुसलमानो की संख्या अधिक है। आतंकवादियों मे भी अधिक है। लिचिंग मे भी अधिक है। मुसलमानो को यह कहने की आदत छोडनी पडेगी कि जेलो मे भी मुसलमानो को बंद करने मे हिन्दूओ ने सत्तर वर्षो तक पक्षपात किया ं बल्कि सच्चाई यह है कि सत्तर वर्षो तक सरकारो ने मुसलमानो के पक्ष मे हिन्दूओ के साथ पक्षपात किया किन्तु अब उन बातो को भूल जाना ही साम्प्रदायिकत सौहार्द हो सकता है। साम्यवादियों या दिग्विजय सिंह सरीखे लोगो के बहकावे मे आकर यदि भारत का मुसलमान फिर से पुराने दिनो की याद मे कोशिश करता है तो साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने का ठेका किसी एक पक्ष का नही है। मै संतुष्ट हूॅ कि धीरे धीरे मुसलमानो मे समझदारी बढ रही है और आप जैसे लोग सामने आ रहे है । किन्तु आप जैसे लोगो की संख्या बढनी चाहिये । मेरे जैसे लोग पूरी तरह बराबरी का व्यवहार करने के लिये तैयार मिलेंगे। आपने तीन पत्र अन्य अखबारो के भेजे हुए लिखे जो मुझे जानकारी नही थी। किन्तु आपने मुझे एक मात्र पत्र लिखा उसके कारण मुझे उस पत्र का उसी तर्क पूर्णभाषा मे उत्तर देना पडा। आप इसके लिये क्षमा करे।

3) बाबूलाल जी शर्मा बांदा उत्तर प्रदेश

विचारः–ज्ञानतत्व 356 अंक पढा। मंथन से अवगत हो विचार को आकार लक्ष्य निर्धारित कर सिस्टम को ईमानदार उत्तरदायी जबाब देह बनाने हेतु उसके प्रत्येक पुर्जे को उसकी जन्मभूमि भेजने के निर्देश नियोक्ता लोक दे रहा है। पब्लिक सेक्टर जो सरकार का स्वरूप है शहरो मे यथार्थ से दूर है उसे यथार्थ से साक्षात्कार कराने और आय का एक अंश गांव के विकाश मे लगाने को कहा जा रहा है।

आप और मै शरीर के दूर दूर भले हो किन्तु वैचारिकी के रूप मे एक हैं। उनके निष्कर्षो के आधार पर नियोक्ता बन एम्पोयीज को निर्देशित करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर अपेक्षित परिवर्तन देख रहा हूँ। संलग्नको के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूँ। वैचारिकी जिसके खास आप है को भारत ही नही विश्व भर की व्यवस्था का जिम्मेदार मान उससे अपना पक्ष रखने को प्रवृत्त हूँ।

मेरी समस्या है कि विचार को सम्प्रेषित करने की प्रकृया धीमी है । अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीमित तक जा रहा है। लेकिन जो विचार सम्प्रेषित हो रहे है उनकी कोइ काट किसी के पास नही है जैसे आपके ज्ञानतत्व मे सब सुधरेगे तीन सुधारे नेता कर कानून हमारे के लक्ष्य को प्राप्ति के लिये मैने आपको भी जोडा है।

आपके मंथन को पढकर मै लाभान्वित हुआ। इस अवस्था मे भी आप जो कर रहे है उससे भारत मे भरत राज की स्थापना का सपना साकार लेने जा रहा है। विश्वास के साथ धन्यवाद

उत्तर–आपकी पत्रिका के तीन अंक मिले । आप जो कार्य कर रहे है वह प्रशंसनीय है। यह अलग बात है कि हमलोगो के साथ धीरे धीरे एक बडी टीम बन गई है। यदि हम दोनो के कार्य को एक दूसने की सहायता की आवश्यकता हो तो आप बताने की कृपा करे कि इस संबंध मे क्या किया जा सकता है। समय वद्ध परिणाम मूलक योजना बनाकर कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। चितरंजन भारती जी के प्रश्न के उत्तर मे मैने अपनी और अपने साथियो की योजना का विस्तृत विवरण दिया है। आप उत्तर देने की कृपा करे। मंथन का अगला कार्यक्रम एक अक्टूबर रविवार को दिल्ली कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास होना है। मै भी तीन चार दिन रहूंगा। आप आ सके तो अच्छा होगा। फेसबुक के माध्यम से प्रत्येक माह के कार्यक्रम की विस्तृत रूप रेखा भी देख सकते है अथवा अपना अपना वाटसअप नम्बर भेज दे तो आपको सूचना भी जा सकती है। फेसबुक और वाटसअप के माध्यम से आप प्रतिदिन भी मंथन से जुड सकते है।

4) चितरंजनभारती

प्रश्नः–ज्ञान तत्व का अंक 355 मिला । डा अशोक गदिया जी के विचार पढकर चौंक गया। कितने सरल शब्दो मे उन्होने वर्तमान की समस्याओं का उल्लेख किया है। गरीबी से देखे तो उनके सवालो मे ही जबाब छिपा हुआ है। दिखावापरस्ती और महत्वाकांक्षा ही समस्याओ के जड मे है जिसपर कुठाराघात करने की जरूरत है । उनका ये सही कहना है कि देश सरकारो की वजह से नही बल्कि 125 करोड जनता की जीजीविषा से चल रहा है। सरकार बदल तो रहे है किन्तु समस्याए वही की वही है। मुनि बजरंग लाल का प्रयास भी इस दिखावापरस्ती और महत्वाकांक्षा मे नक्कारखाने मे तूती की आवाज बनकर रह जा रही है।

उत्तर– आपके पत्र से ऐसा लगा जैसे आप कुछ निराश हो रहे है जबकि सच्चाई यह है कि नक्कारखाने मे तूती की आवाज पूरे नकारखाने को प्रभावित करने की दिशा मे सफलता पूर्वक आगे बढ रही है। चार दिशाओ मे अलग अलग प्रयत्न जारी हैं। मै स्वयं मंथन के माध्यम से दुनियां और विशेष कर भारत मे सत्य को असत्य के समान प्रचलित होने की बिमारी का समाधान कर रहा हूँ। फेसबुक वाट्सअप काश इंडिया डाट काम ज्ञानतत्व तथा प्रत्येक माह के प्रारंभ मे एक दिन दिल्ली मे बैठकर विचार मंथन जारी है जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव दिख रहा है। हमारी दूसरी टीम ग्राम संसद अभियान के माध्यम से पूरे देश मे एक जन जागरण आगे बढा रही है। इसका एक ही रूप है प्रत्येक ग्राम और वार्ड सभा को राष्टीय संविधान संसोधन मे महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपना आंतरिक कानून बनाने एवं कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता । अब तक पूरे देश मे चार सौ से कुछ अधिक जिलो तक सकियता शुरू हो चुकी है। अगले 6 महीने मे लग भग पूरे भारत के सभी जिलो तक पहुंच बन जायेगी। जिला समितियों का कार्य प्रगति पर है विकाश खंड स्तर पर भी समितियां बननी शुरू हो रही है। तीसरा समूह ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के नाम से कार्य कर रहा है। यह भी पूरे देश मे निरंतर आगे बढना शुरू कर चुका है । चौथा समूह संविधान

मंथन सभा के नाम से काम कर रहा है। इसका उददेश्य वर्तमान संविधान की समीक्षा के लिये एक ऐसी संविधान सभा का गठन कराना है जो देश के नागरिको द्वारा चुनी जाये और वर्तमान संविधान की समीक्षा करके संसद को प्रस्ताव दे। इस सभा की एक माह की विस्तृत बैठक दिल्ली मे 2020 मे होनी है । इस बैठक मे वर्तमान संविधान की पूरी समीक्षा भी की जायेगी तथा एक छाया संविधान सभा भी बनायी जायेगी। साथ ही संवैधानिक तरीके से संविधान सभा के गठन के लिये जन जागरण भी किया जाता रहेगा। उसकी भी सदस्यता जारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन चारो अथवा किसी अल्प पाचवे माध्यम से भी आप भारत की राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन मे अपनी भूमिका को और अधिक सकिय करने की कृपा करे। आप सब पाठको के उत्तर की प्रतिक्षा रहेगी। तैयारी ठीक गति से चल रही है । 2024 की समय सीमा तक सफलता की संभावना है।

5) अर्पित अनाम,अम्बाला,हरियाणा

विचारः– कुछ ऐसे संकेत दिखते है जिससे आभाष होता है कि भारत अब तक पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद ही नहीं हुआ तो हर वर्ष क्यों आजादी की खुशी मनाई जाती है? क्यों भारत वासियों के साथ भददा मजाक किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को जाने–

(1) भारत को सत्ता हस्तांतरण 14–15 अगस्त 1947 को गुप्त दस्तावेज के तहत, जो कि 1999 तक प्रकाश में नहीं आने थे।

(2)भारत सरकार को संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

(3)संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा संसद की कार्यवाही अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में होने के बजाय अंग्रेजी भाषा में होगी।

(4)अप्रैल 1947 में लन्दन में उपनिवेश देश के प्रधानमंत्री अथवा अधिकारी उपस्थित हुए। यहॉ के घोषणा पत्र के खंड 3 में भारत वर्ष की इस इच्छा को निश्चयात्मक रुप में बताया कि वह (क) ज्यों का त्यों ब्रिटिश का राज समूह सदस्य बना रहेगा तथा (ख) ब्रिटिश राष्ट्र समूह के देशों के स्वेच्छापूर्ण मिलाप का ब्रिटिश सम्राट को चिन्ह प्रतीक समझेगा। जिनमें शामिल है इंग्लैड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका। (ग) सम्राट को ब्रिटिश समूह का अध्यक्ष स्वीकार करेगा।

(5)भारत की विदेश नीति तथा अर्थनीति भारत के ब्रिटिश का उपनिवेश होने के कारण स्वतंत्र नहीं है अर्थात उन्हीं के अधीन है।

(6)नौ सेना के जहाजों पर आज भी तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज नहीं है।

(7)जन गन मन अधिनायक जय हे..... हमारा राष्ट्र गान नहीं है, अपितु जार्ज पंचम के भारत आगमन पर उसके स्वागत में गाया गया गान है। उपनिवेशक प्रथाओं के कारण दबाव में इसी गीत को राष्ट्रगान बना दिया गया.... जो कि हमारी गुलामी का प्रतीक है।

(8) सन 1948 में बने बर्तानिया कानून के अंतर्गत भाग 1 । (1)1948 के बर्तानिया के कानून के अनुसार हर भारतवासी बर्तानिया की रियाया है और यह कानून भारत के गणराज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात भी लागू है।

(9) यदि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रथम गवर्नर जनरल माउन्टवेटन को क्यों बनाया गया।

(10) 22 जून 1948 को भारत के दूसरे गवर्नर के रुप में चकवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्न शपथ ली । मै चकवर्ती राजगोपालाचारी यथाविधि यह शपथ लेता हूँ कि मैं सम्राट जार्ज षष्ठ और उनके वंशधर और उत्तराधिकारी के प्रति कानून के मुताबिक विश्वास के साथ वफादारी निभाउंगा, एवं मैं चकवर्ती राजगोपालचारी यह शपथ लेता हूँ कि मैं गवर्नर जनरल के पद पर होते हुए सम्राट जार्ज षष्ठ और उनके वंशधर और उत्तराधिकारी की यथावत सेवा करुँगा।

(11) 14अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधि से भारत के दो उपनिवेश बनाए गये जिन्हें ब्रिटिश (कांमन वेल्थ) की धारा नं 9 (1) (2) (3) तथा धारा नं 8 (1) (2) धारा नं 339 (1) (3) (5)जी 18 के अनुच्छेद 576 और 7 के अंतर्गत इन उपरोक्त कानूनों को तोडना या भंग करना भारत सरकार की सीमश्क्ति से बाहर की बात है तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक इन धाराओं के अनुसार ब्रिटिश नागरिक अर्थात गोरी सन्तान है।

(12) भारत संविधान की व्याख्या अनुच्छेद 147 के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तथा इंडियन इंडिपेन्डेन्स एक्ट 1947 के अधीन ही की जा सकती है यह एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लागू किये।

(13) भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद नं0 366, 371, 372 एवं 392 को बदलने या रदद करने की क्षमता भारत सरकार को नहीं है।

(14) भारत सरकार के पास ऐसे ठोस प्रमाण अभी तक नहीं है, जिसने नेताओं की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु साबित होती है। इसके उपरान्त मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरु, मोहम्मद अली, जिन्ना और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ब्रिटिश न्यायाधीश के साथ यह समझौता किया कि अगर नेताजी ने भारत में प्रवेश किया तो उन्हें गिरफतार करके ब्रिटिश हुकूमते को सौंप दिया जायेगा। बाद में ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल के दौरान उन सभी राष्ट्र भक्तों की गिरफतारी और सुपुर्दगी पर मुहर लगाई गई जिनको ब्रिटिश सरकार पकड नहीं पाई थी।

(15) डंकल व गेंट साम्राज्यवाद को भारत में पीछे के दरवाजों से लाने का सुलभ रास्ता बनाया है ताकि भारत की सत्ता फिर से इनके हाथों में आसानी से सौंपी जा सके। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण भारतीय जनमानस को आज तक एक धोखे में ही रखा गया है, तथाकथित नेहरु गांधी परिवार इस सच्चाई से पूर्ण रुप से अवगत थे परन्तु सत्तालोलुप प्रवृत्ति के चलते आज तक उन्होनें भारत की जनता को अंधेरे में रखा और विश्वासघात करने में पूर्ण रुप से सफल हुए। सवाल उठता है कि यह भारतीय थे या काले अंग्रेज?

उत्तरः–(1)कोई ऐसा दस्तावेज था या है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक बार एक गांधीवादी सन्यासी ने मुझे बताया था कि उन्होने उक्त गुप्त ट्रिटी देखी है। मुझे जानकारी थी कि यह सन्यासी प्रायःझुठ बोलते है इसलिए मैंने उन पर अविश्वास किया। अब भी मैं बिना किसी विश्वसनीय प्रमाण के इस कथन को अफवाह मानता हूँ।

(2)भारत सरकार को महत्वपूर्ण विषयों पर संविधान संशोधन के अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरे विचार से किसी सरकार को किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन के असीम अधिकार होने भी नहीं चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने से भारत की जनता के अतिरिक्त किसी विदेशी शक्ति की बाधा है।

(3)संविधान का अनुच्छेद 348 संविधान सभा ने ही शामिल किया है किसी विदेशी शक्ति ने नहीं।

(4)आपने अप्रैल 1947 में लंदन में हुई चर्चा का जिक किया है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि उस समय तक भारत न स्वतंत्र हुआ था, न गणराज्य। अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ किन्तु गणराज्य नहीं बना क्योंकि संविधान भारत का लागू नहीं था। 1950 में भारत गणराज्य बना और उसके बाद ब्रिटेन का कोई भी कानून भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह अलग बात है कि भारत कुछ समझौते का स्वेच्छा से पालन करता रहे। मुझे यह जानकारी नहीं है कि वर्तमान समय में नौ सेना के जहाजों पर भारतीय ध्वज फहराने में ब्रिटेन की ओर से कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा है। इसी तरह राष्ट्रगान भी भारत जब चाहे बदल सकता है। बदलने में कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को गणराज्य बना ही नहीं था तब माउण्टेन यदि गर्वनर जनरल नहीं होते तो कौन होता। यदि राजगोपाला चारी ने उनके प्रति वफादारी की शपथ ली तो वह किसी तरह गलत नही थी। गणराज्य बनने के बाद शपथ का प्रारूप बदल गया। 47 से 50 तक भारत पूर्ण स्वतंत्र नही था जो 50 के बाद बना। आपने कुछ और भी प्रश्न किये है किन्तु मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखता कि कोई भी बात अस्वीकार करने या बदल देने की भारत की जनता को स्वतंत्रता नहीं है। नहीं कर रहा तो इसके लिए किसी अन्य को दोष नहीं दिया जा सकता।

उत्तरार्ध

परिवार, गांव बनें संविधान का आधार–बजरंग मुनि

गाजियाबाद, मेवाड लॉ कॉलेज में भारतीय संविधान पर संगोष्ठी आयोजित सेमीनार में प्रख्यात विचारक श्री बजरंग मुनि ने कहा कि देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं, किंतु आज भी संविधान में अनेक विसंगतियां हैं, जिसके कारण संविधान में आमूलचूल संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संविधान से परिवार एवं गांव को निकाल कर जाति, धर्म, भाषा डालकर भारी भूल की गयी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान की अधिकांश धाराएं द्विअर्थी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान ही समाज में सब संघर्षों की जड़ है। उनकी कई मौलिक बातों का समर्थन सम्मानीय मंच के साथ–साथ उपस्थिति लोगों ने

भी किया। मुनि जी ने जानकारी देते हुए बताया कि सन् 2020 में भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए देश भर के 2500 लोगों की लोक संविधान सभा का आयोजन किया जाएगा, जो लगातार एक महीने तक चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विजय कौशल जी महाराज ने घोषणा की कि मैं ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान, के लिए जो भी संभव होगा, करुँगा तथा संविधान मंथन में भी पूरा सहयोग करुँगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री रामबहादूर राय ने कहा कि जिस दिन इस संविधान की कमियॉ दूर हो जायेंगी। वो भारत की आजादी का पहला दिन होगा। साथ ही उन्होंने लोगों को इस अभियान से जुड़ने की भी अपील की।

कार्यक्रम मेवाड कॉलेज वसुंधरा, 4सी, गाजियाबाद के ओडिटोरियम में संपन्न हुआ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय कौशल जी महाराज थे व अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान विशेषज्ञ कोविंद गोयल, राज्यसभा सांसद श्री वसवराज पाटिल, सरगुजा से सांसद श्री कमलभान सिंह मरावी, एवं मेवाड़ कालेज के कुलाधिपति डॉ अशोक गादिया उपस्थित थे, कार्यक्रम का संचालन डॉ महिपाल सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भारत के कई प्रांतो के गणमान नागरिकों की उपस्थिति उत्साहवर्धक रही। कार्यक्रम के सफल संचालन में ओम प्रकाश दुबे, प्रवीण शर्मा, डॉ ईश्वर दयाल टीकाराम देवरानी, अभ्युदय द्विवेदी, करीम भाई, उत्सव केसरी, प्रमोद कुमार ठाकुर, प्रमोद केसरी एवं विनोद भाई आदि कार्यकताओं का सराहनीय योगदान रहा।